न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 319/18

सरकार बनाम श्रीः रत्तीराम उ/० जुगलाल

जाति मीना निवासी बालौन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27, 2, 18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रत्तीराम पुत्र श्री जुगलाल जाति मी निवासी बालौन तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम बालौन राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 15.58 किस्म चरागाह भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत से बाड़ा कर कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया ज भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88 का 50 गुना 44/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख नि बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तह भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/म की रोकड़ सं. 27 पर
वर्ष 2017-18
राशि 44 रु. 00 पै.
की जमा
Bshay
सहायक लेखाकार